प्रबन्धक.

्रिसा डी पादल क रखुल शिभाग संस्थान हुमरी जनपद - एटा।

पत्रांकः अ०मा०। 3120-76 । १२००५-०६ दिनांक २/१३/२०

प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में। महोदय/महोदया, .

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपकी मान्यता समिति की बैठक दिनांक 1-12-05 एवं प्रस्ताव संख्यामें लिये गये निर्णय के अनुसार आपको प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता सत्र 2005-06 (01 जुलाई 2005) से निम्न प्रतिबंधी के साथ प्रदान की जाती है।

- पांच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत सभी निर्धारित शर्तों को पूर्ण करके स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- विद्यालय को प्रदान की गयीं मान्यता पांच वर्ष के लिए है।
- विद्यालय में अवैध कक्षाओं का संचालन कदापि न किया जाये।
- 4. विद्यालय में राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जाये।
- प्रशिक्षित अध्यापकों की ही व्यवस्था की जाये।
- यदि आप द्वारा प्रस्तुत पन्नावली/आवेदन में किसी तथ्य को छिपाया या गलत पाया जाता है तो प्रदान की गयी मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।

(एम०एस०यादव) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

पृ०संवः अ०मा०/

12005-06

तदिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- जिला समाज कल्याण अधिकारी, एटा।
- उप वेसिक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय एटा।
- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी वि०क्षे
- नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र....

(एर्म०एस०यादव) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

एटा

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा

पत्रांक-मान्यता / 645-50 / 2012-13

दिनांक 15/5/12

प्रबन्धक

एस०डी०पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान धुमरी, विकास क्षेत्र जैथरा

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र। महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31–10–2011 के आवेदन और इस संबन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 11–5–2011 के प्रस्ताव संख्या 34 में शासनादेश दिनांक 19.05.2011 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत लिये गये निर्णायानुसार में एस0डी0पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान धुमरी, विकास क्षेत्र जैथरा को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए (ब) श्रेणी की आस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

- 1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3. विद्यालय कक्षा 6 से 8 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेंगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः
 - (I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा:
 - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - (III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

Posh Posh

- (IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।
- (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और, (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ठ विद्यालय के मानकों ओर संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसविधाए निम्नानुसार है:—

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई

वाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करो / पुस्तकालिय की उपलब्धता

- 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्रप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
- 10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) क अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एंकाउंटेट द्वार संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिएं प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यत कोड संख्याक 34 है। कृपया नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपेक्षित हो और समचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों को पालन करता

BER

है तो मान्यता संबंधी शर्तों के सत्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की किमयों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

- 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17. संलग्न उपावंध के अनुसार अन्य निम्न शर्ते।

A – शासनादेश में नियम मानको के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्याक-एक पद सहायक अध्यापक चार पद लिपिक-एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- एक पद अनुमन्य होगे।

- B विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम में भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठ्य पुस्तकों को उपयोग किया जायेगा।
- C विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा।
- D शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

पृष्ठकान स० मान्यता / /2012-13 तद्र दिनांक प्रतिलिप निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अलीगढ़।
- 3. जिला समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एटा।
- 4. वित एवं लेखाधिकारी (बेसिक) एटा।
- 5. संबधिंत खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद एटा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा